

**न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.कं.-1021 / 2004  
 संस्थित दिनांक-09.12.1995  
 फाइलिंग क्र.234503000011996

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना परसवाड़ा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

शिवलाल पिता हरेसिंह मड़ावी, उम्र-48 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम खलौण्डी, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

**आरोपी**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-16/02/2017 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420, 409, 467 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-31.05.1994 के पूर्व ग्राम भीड़ी ठेमा में म.प्र. शासन की उचित मूल्य की दुकान से 9822/-रुपये की राशि हेराफेरी कर शासकीय संपत्ति स्वयं को परिदत्त करने के लिए बेईमानीपूर्वक प्राप्त कर प्रवंचित किया, आ.जा.से.सह.समिति मर्यादित के सेल्समेन पर पद पर लोकसेवक के नाते अपने कारोबार के अनुक्रम में खाद्यान्न मिट्टी का तेल, शक्कर व अन्य खाद्य सामग्री आपको न्यस्त रहते हुए उक्त संपत्ति के विषय में कमी करने के द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया, समिति का बिक्री रजिस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित था में हेराफेरी कर कूट रचित इन्द्राज शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मोतीराम घोरमारे ने दिनांक-18.02.1995 को थाना परसवाड़ा आकर इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि वह आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बघोली में लेम्पस प्रबंधक के पद पर वर्ष 1989 से कार्यरत है और उसके अधिनस्थ सेल्समेन शिवलाल भलावी पिता हरेसिंह गोंड, साकिन खलौण्डी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान भीड़ी एवं ठेमा में खाद्यान्न स्टॉक में हेराफेरी कर गबन किया है। सेल्समेन शिवलाल भलावी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बघोली में विगत दो वर्षों से कार्यरत है और उसे उचित मूल्य दुकान भीड़ी एवं ठेमा में राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण करने का दायित्व सौंपा गया था, परंतु सेल्समेन शिवलाल भलावी दिनांक-17.05.1994 से दिनांक-30.05.1994 तक दुकान बंद कर चाबी लेकर गायब रहा। उसके द्वारा दुकानों की जांच हेतु दौरा किया गया,

जहां विक्रेता शिवलाल भलावी अनुपस्थित रहने पर समिति के भृत्य को भेजकर पता करने पर शिवलाल भलावी मौके पर नहीं मिला। विक्रेता शिवलाल भलावी के गायब रहने की सूचना उसने पुलिस थाना परसवाड़ा में दिनांक-20.05.1994 को दी। दिनांक-31.05.1994 को वह स्वयं विक्रेता शिवलाल भलावी के निवास पर जाकर उसे अपने साथ लेकर ग्राम भीड़ी गया व उचित मूल्य दुकान भीड़ी का सत्यापन संस्था के अध्यक्ष लीलाबाई, संचालक गोपालसिंह मेरावी, हीरामन मेरावी, जोगलाल उइके के समक्ष किया गया। सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान भीड़ी में गबन किया जाना पाया गया। उपरोक्त आवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-10/1995, धारा-409, 420, 467 पंजीबद्ध किया गया तथा मामलें की विवेचना के दौरान दस्तावेजों को जप्त कर अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध सदर धारा का अपराध पाए जाने से यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420, 409, 467 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश किया जाना व्यक्त किया गया था, किन्तु बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक-31.05.1994 के पूर्व ग्राम भीड़ी ठेमा में म.प्र. शासन की उचित मूल्य की दुकान से 9822/-रुपये की राशि हेराफेरी कर शासकीय संपत्ति स्वयं को परिदत्त करने के लिए बेईमानीपूर्वक प्राप्त कर प्रवंचित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आ.जा.से.सह.समिति मर्यादित के सेल्समेन पर पद पर लोकसेवक के नाते अपने कारोबार के अनुक्रम में खाद्यान्न मिट्टी का तेल, शक्कर व अन्य खाद्य सामग्री न्यस्त रहते हुए उक्त संपत्ति के विषय में कमी करने के द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर समिति का बिक्री रजिस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित था में हेराफेरी कर कूट रचित इंद्राज शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की ?

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 2 का निष्कर्ष:-**

5— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी जगताराम ठाकुर अ.सा.19 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-18.02.1995 को विकासखण्ड अधिकारी परसवाड़ा में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बघोली की ठेमा दुकान का सत्यापन किया था, जो प्रदर्श पी-7 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी तरह प्रदर्श पी-8 लगायत प्रदर्श पी-19 पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने प्रदर्श पी-7 से लेकर प्रदर्श पी-19 तक के दस्तावेजों का सत्यापन स्वयं नहीं किया था और न ही किसी दुकान में जाकर आय-व्यय का अवलोकन किया था। उसने प्रदर्श पी-7 से लेकर प्रदर्श पी-19 तक के दस्तावेजों का सत्यापन मैनेजर मोतीराम घोरमारे के कहने पर किया था और दिनांक-18.02.1995 को उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त दस्तावेज मोतीराम घोरमारे के द्वारा ही तैयार किये गए थे। आर्टिकल-1 के पेज नंबर-57 के अनुसार प्रदर्श पी-7 में स्कंध पंजी के अनुसार 54 किलोग्राम शक्कर कम पाई गई थी। उक्त आर्टिकल के पेज नंबर-8 के लिखित अनुसार 1.53 क्विंटल गेहूं कम था। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-150 के अनुसार प्रदर्श पी-9 में लिखित अनुसार 11.51 क्विंटल चावल कम था। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-123 के अनुसार प्रदर्श पी-10 में लिखित अनुसार 22 नग शक्कर बारदाना कम था। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-103 के अनुसार प्रदर्श पी-11 में लिखित अनुसार राशन बारदाना 348 नग कम था। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-176 के अनुसार प्रदर्श पी-12 में लिखित अनुसार 3 नग साबुन कम पाई गई। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-140 के अनुसार प्रदर्श पी-13 में लिखित अनुसार धोती 2 नग कम पाई थी। आर्टिकल-2 के पेज क्रमांक-70 के अनुसार प्रदर्श पी-15 में लिखित अनुसार 6.60 क्विंटल चावल कम पाया गया था। आर्टिकल-2 के पेज क्रमांक-77 के अनुसार प्रदर्श पी-16 के लिखित अनुसार अभ्यास पुस्तिका 10 नग कम पाई थी। आर्टिकल-2 के पेज क्रमांक-101 के अनुसार प्रदर्श पी-17 के अनुसार सत्यापन करने पर 4 किलो चायपत्ती कम पाई गई थी। आर्टिकल-2 के पेज क्रमांक-108 के अनुसार प्रदर्श पी-18 की रिपोर्ट सत्यापन करने पर 54 नग राशन बारदाना कम पाया गया था। आर्टिकल-2 के अनुसार पेज क्रमांक-127 के अनुसार प्रदर्श पी-19 को सत्यापन करने पर 19 नग शक्कर बारदाना कम पाया गया था। वह दिनांक-01.06.94 को प्रबंधक के साथ राशन दुकान ठेमा एवं भीड़ी भौतिक सत्यापन हेतु नहीं गया था। वह दिनांक-31.05.94 को भी प्रबंधक के साथ भौतिक सत्यापन के लिए नहीं गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-13 पर उसके सामने शिवलाल भलावी, लीलाबाई, गोपाल मरावी, जोगलाल उइके, हीरामन मेरावी ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रबंधक मोतीराम घोरमारे ने कहा है

कि रिपोर्ट करना है, इसलिए उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-19 के दस्तावेजों में लिखित वस्तुओं के क्रय का क्रेडिट मेमो, आवक, वितरण आदि की जांच उसने नहीं की थी। आर्टिकल-1 व आर्टिकल-2 रजिस्टर उसके सामने सील नहीं किये गए थे और न ही उसने उपरोक्त आर्टिकल रजिस्ट्रों के पृष्ठों के इन्द्राज को देखा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी दैनिक विक्रेता के पद पर पदस्थ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि प्रबंधक द्वारा आरोपी के समक्ष भौतिक सत्यापन सामग्री का किया जाना है, इस बाबद् उसे नहीं बुलाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-19 के दस्तावेजों में दर्शित की गई कमी के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी न ही सरकारी कर्मचारी है और न ही बैंक का कर्मचारी है।

6— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी टी.आर. साहू अ.सा.21 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-14.09.1995 को थाना परसवाड़ा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-10/95, अंतर्गत धारा-420, 409, 467 भा.द.वि. की जायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मोतीराम के पेश करने पर आर्टिकल बी-1 जो आरोपी शिवलाल के द्वारा 13,000/-रूपये राशि में आई कमी जमा करने बाबद् पत्र अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति बघोली को लेख किया गया था, जो जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त दिनांक को मोतीराम घोरमारे द्वारा थाने पर पेश करने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार क्रेडिट मेमो बुक साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-06.10.1995 को मोतीराम घोरमारे से शिवलाल की हस्तलिपि में लिखित अवकाश संबंधित आवेदन जो आर्टिकल बी-2 से लगायत आर्टिकल बी-6 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया गया था। दिनांक-30.10.1995 को मोतीराम घोरमारे से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-20 अनुसार एक रोकड़बही रजिस्टर लेम्पस बघोली पृष्ठ क्रमांक-1 से 400 तक जप्त किया था, जो दिनांक 02.04.1993 से दिनांक-31.03.1994 तक लेख है, जिसके बी से बी भाग पर उसका नाम लेख है। दिनांक-23.12.1995 को साक्षी डेकनलाल, विजय नारायण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेज जहांगीराबाद भोपाल परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक बालाघाट के माध्यम से भेजा गया था, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 है, जो प्रकरण में संलग्न है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रकरण सोसाईटी से संबंधित है। साक्षी ने स्वीकार किया कि समिति शासन के पैसो का उपयोग करती है। इस बाबद् कोई दस्तावेज फरियादी ने उसे नहीं दिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आरोपी की नियुक्ति के संबंध में जो दस्तावेज प्रकरण में संलग्न



है, वह छायाप्रति है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उन दस्तावेजों की छायाप्रति होने से आरोपी के शासकीय कर्मचारी होने की पुष्टि नहीं होती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट होने के पश्चात् उसके सामने भौतिक सत्यापन इत्यादि की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी द्वारा कूट रचना की गई हो, इसलिए कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

7— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी मोतीराम अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। वर्ष 1994 में आरोपी शिवलाल द्वारा मिट्टी तेल, शक्कर, चावल खाद्यान्न का गबन किया गया था। घटना के समय वह बघोली में मैनेजर के पद पर कॉर्पोरेटिव बैंक में पदस्थ था और घटना के समय आरोपी सेल्समेन के पद पर ग्राम भीड़ी और टेमा में कार्यरत् था। आरोपी दिनांक—17.05.1994 से 30.05.1994 तक दुकान की चाबी लेकर गायब रहा, जिसकी सूचना उसने दिनांक—20.05.1994 को थाना परसवाड़ा में दी। उसने अभियुक्त को घर से पकड़कर लाया और उससे चाबी लेकर दिनांक—31.05.1994 को सत्यापन किया था। सत्यापन करने पर उसने मिट्टी तेल, धोती, साबुन, गेहूँ, शक्कर देखा तब उसने 14039.75/—की कमी पाई। उसने आरोपी के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख कराई, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी से दिनांक—01.12.1994 को 2140/—रुपये तथा दिनांक—18.02.95 को 2000/—रुपये आरोपी से लिखित इकरारनामों में वसूल किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी की नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी दिनांक 17 से दिनांक 19 तक ड्यूटी पर था या नहीं वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी को स्टॉक किस तारीख का दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दिनांक—20.05.1994 को आरोपी समिति में नहीं था, इस बाबद् लिखित आवेदन उसने थाने में दिये थे, परंतु वे प्रकरण में संलग्न नहीं हैं। साक्षी ने यह भी कहा है कि पुलिस ने जो सामान जप्त किया था, उसकी कोई भी पावती उसके पास नहीं है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

8— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी व्ही.एस. नेताम अ.सा.20 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—23.12.1995 को बैहर में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। वह आरोपी शिवलाल को जानता है, जो ग्राम टेमा व भण्डेरी का विक्रेता था, जिसने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किया था। आरोपी ने चावल, गेहूँ में अनियमितता की थी, जो करीब 14,000/—रुपये की अनियमितता थी। उसने प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व उक्त दुकानों की जांच की थी और गड़बड़ी पाए जाने पर एस.डी.ओ. बैहर को सूचना दी थी। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने

खाद्य निरीक्षक की हैसियत से उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना के समय आरोपी दुकान पर सेल्समेन के पद पर कार्यरत था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जांच में भीड़ी व ठेमा की उचित मूल्य दुकान की सामग्री की आवक एवं उसमें से बिक्री किये गए सामान की तादाद तथा बिक्री से प्राप्त राशि का विवरण तैयार नहीं किया था। साक्षी ने कहा है कि उसे प्रबंधक घोरमारे ने 14,000/-रुपये के करीब गबन होने की मौखिक सूचना दी थी, लिखित सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने मोतीराम से निरीक्षण रिपोर्ट जप्त नहीं की थी।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पुरुषोत्तम टोडरे अ.सा.18 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-18.02.95 को थाना परसवाड़ा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मोतीलाल घोरमारे की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 दर्ज किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी-9 की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि प्रदर्श पी-1 के आवेदन के साथ कोई आर्टिकल अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

10— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पूरनलाल प्रजापति अ.सा.17 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-18.04.95 को थाना प्रभारी परसवाड़ा के पद पर पदस्थ था। उसने अपराध क्रमांक-10/95 की विवेचना के दौरान मौके पर जाकर मौकानक्शा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान मोतीराम के पेश करने पर एक स्टॉक रजिस्टर जिसमें नवम्बर 1992 से प्रारंभ होना लेख है तथा पृष्ठ क्रमांक-1 से 200 तक अंकित है। उक्त स्टॉक रजिस्टर ठेमा का है, एक स्टॉक रजिस्टर भीड़ी लेम्पस बघोली का है, जो दिनांक-17.11.1992 से पृष्ठ क्रमांक-99 लेख है, एक विक्रय दैनिक रजिस्टर पृष्ठ क्रमांक-1 से 199 तक एवं 20.11.1992 से 01.07.1994 का लेख है, एक विक्रय रजिस्टर उचित मूल्य दुकान ठेमा पृष्ठ क्रमांक-1 से 199 दिनांक-25.11.1992 से दिनांक-13.06.1994 को जप्त किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी शिवलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी मोतीराम, भागचंद, खोबालाल, लीलाबाई, चैनलाल, गुलजार, हीरामन, जोगलाल, जयसिंह, गोपाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-6 के बिन्दु 3 व 4 अनुसार विक्रय पंजी विक्रेता से जप्त नहीं की गई है। साक्षी ने स्वीकार किया कि मोतीराम ने उसे ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया था, जिसमें दैनिक विक्रयपत्र उसने किससे प्राप्त किया था, इसका उल्लेख है। साक्षी ने यह भी कहा है कि सेल्समेन को सामग्री आवंटित करने

की पंजी उसके द्वारा जप्त नहीं की गई। साक्षी ने स्वीकार किया कि आवंटन रजिस्टर प्रस्तुत न करने के कारण आरोपी द्वारा कितनी राशि का गबन किया गया, यह बात वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया कि मोतीराम घोरमारे ने गबन की गई खाद्यान्न राशि के विषय में केशबुक जप्त नहीं कराई थी।

11— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी चैनलाल अ.सा.3 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह वर्ष 1995 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का संचालक सदस्य था। आरोपी शिवलाल समिति द्वारा संचालित की जाने वाली उचित मूल्य दुकान ग्राम ठेमा एवं भीड़ी में विक्रेता की हैसियत से कार्यरत था। घटना के समय समिति के प्रबंधक द्वारा उचित मूल्य दुकानों के स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन करने पर आरोपी को सौंपी गई मात्रा से कम मात्रा में स्टॉक होना पाया गया था तथा स्टॉक का हिसाब बराबर नहीं मिल रहा था। समिति के सदस्य एवं प्रबंधक ने आरोपी द्वारा उचित मूल्य की दुकान की उसे सौंपी गई संपत्ति एवं राशि में हेराफेरी करना पाये जाने पर समिति के समक्ष कार्यवाही की थी, तब समिति में प्रस्ताव पारित कर आरोपी को विक्रेता के पद से हटा दिया गया था और समिति के प्रबंधक द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाने में शिकायत की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि समिति के समक्ष प्रस्ताव आने पर प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड उसने नहीं देखा। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी जिस दुकान में काम करता था, उसके सत्यापन करते समय वह मौके पर नहीं गया था।

12— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी ढेकलचंद नागेश्वर अ.सा.11 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वर्ष 1979 में वह ग्राम मोहगांव में मार्केटिंग सोसाईटी में विक्रेता के रूप में कार्यरत था। उस समय वह मार्केटिंग सोसाईटी मोहगांव से संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में शासकीय खाद्यान्न सामग्री के वितरण का कार्य करता था तथा आरोपी शिवलाल बघोली सोसाईटी का कार्य करता था। उस समय उसके द्वारा ग्राम बघोली में शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता शिवलाल को खाद्यान्न सामग्री शक्कर, गेहूं, चावल व अन्य सामान वितरित किये गए थे। माल विक्रय किये जाने के मेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर माल दिये जाने के बाद होते हैं। उस समय खाद्यान्न सामग्री प्राप्त किये जाने के पश्चात् मोहगांव सोसाईटी के विक्रेता आरोपी शिवलाल द्वारा माल प्राप्ति बाबद् पावती दी गई थी। ग्राम बघोली में मार्केटिंग सोसाईटी की दुकान के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान भीड़ी एवं ठेमा की दुकानें उस समय आती थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि माल प्रदाय करने का आदेश प्रबंधक द्वारा दिया जाता है और वह बघोली के प्रबंधक ने कितना-कितना माल दिया था, यह वह नहीं बता सकता।

13— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी लीलाबाई अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। वह सेवा सहकारी समिति में सदस्य थी और आरोपी समिति में सेल्समेन था। उसे मैनेजर मोतीराम घोरमारे ने बताया था कि आरोपी ने सोसोईटी में गबन किया है। फिर समिति ने आरोपी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। कितने रुपये का गबन हुआ था, उसे मालूम नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी की सेल्समेन के संबंध में भर्ती के विषय में उसे जानकारी नहीं है।

14— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी गुलजारसिंह अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी बघोली समिति में सेल्समेन था और वह समिति का सदस्य था। आरोपी ने समिति में गबन किया था। कितने रुपये का गबन किया था, उसे मालूम नहीं है। समिति ने आरोपी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि अभियुक्त ने किस दुकान से कितने रुपये का गबन किया है।

15— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी गोपालसिंह अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। उसे आरोपी द्वारा गबन किये जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। घटना के समय वह आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बघोली का संचालक था। उसे मैनेजर ने बताया था कि आरोपी ने ठेमा तथा भीड़ी की दुकान में, जिसमें वह समिति के सेल्समेन के रूप में काम करता था, गबन किया है, तब मैनेजर ने लिखापढ़ी कर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की थी। मैनेजर ने क्या कार्यवाही की थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। मैनेजर ने संस्था के प्रस्ताव पारित करने के संबंध में लिखापढ़ी की थी तथा हस्ताक्षर करवाए थे। आरोपी ने गबन किया था या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव प्रबंधक द्वारा लिखा गया था, क्या कार्यवाही की गई थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने कहा है कि इस बाबद् जांच पड़ताल नहीं की गई थी, उसने मात्र हस्ताक्षर कर दिये थे।

16— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी खोवाराम अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है, जो आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बघोली की ग्राम भीड़ी में स्थिति उचित मूल्य की दुकान में सेल्समेन था। आरोपी द्वारा गबन किये जाने के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी।

17— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी हीरामन अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। वह मैनेजर को भी जानता है। उसे द



टटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वह समिति में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में बघोली में संचालक के पद पर घटना के समय पदस्थ था। उस समय सेवा सहकारी समिति मर्यादित बघोली के अंतर्गत 8 समिति थी। उक्त समिति प्रबंधक दुकानों में एक थी। आरोपी उस समय भीड़ी, ठेमा, पोंडी एवं खरपड़िया में विक्रय कार्य संपादित करता था। उसके सामने मैनेजर ने कोई सत्यापन नहीं किया था और न ही उसे इसकी जानकारी है। उसे आरोपी द्वारा गबन किये जाने की जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर कोई बयान नहीं लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करता था। साक्षी ने स्वीकार किया कि दिनांक-31.05.94 एवं दिनांक-20.05.94 को उसके सामने सत्यापन नहीं हुआ था। साक्षी ने यह भी कहा है कि 14039/-रुपये के गबन के संबंध में प्रस्ताव पास होने की उसे जानकारी नहीं है। प्रबंधक द्वारा उससे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिये गए थे।

18— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी जोगलाल अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बघोली में सदस्य था तथा तत्कालीन समय में हीरामन, चैनलाल, लीलाबाई, गोपाल, जोगसिंह सभी सदस्य थे। कुल 8-9 शाखा थी, जहां पर प्रबंधक घोरमारे थे। आरोपी ग्राम खरपड़िया में सेल्समेन था और वह चावल, गेहूं, शक्कर, मिट्टी तेल का विक्रय करता था। उसे आरोपी द्वारा गबन किये जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने कहा है कि उसने प्रदर्श पी-2 का कथन पुलिस को लेख नहीं कराया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे गबन के मामले दिनांक-31.05.94 की सत्यापन की कार्यवाही की जानकारी नहीं है।

19— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी परदेशी अ.सा.9, खूबचंद वान्डरे अ.सा.10, बरातीलाल अ.सा.12, संतलाल अ.सा.13, गिरमाजी अ.सा.14 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वे आरोपी को नहीं जानते। उसके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी परदेशी अ.सा.9 ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 की जप्ती उसके सामने न होना कहा है। साक्षी खूबचंद वान्डरे अ.सा.10 ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 की कार्यवाही अपने सामने न होना कहा है। साक्षी बरातीलाल अ.सा.12 ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 एवं 5 के दस्तावेज मोतीराम से पुलिस ने जप्त किये थे, इस बात से इंकार किया है। साक्षी संतलाल अ.सा.13 ने प्रदर्श पी-4 शिवलाल की हस्तलिपि के आवेदनपत्र की जप्ती अपने सामने होने से इंकार किया है। गिरमाजी अ.सा.14 ने भी प्रदर्श पी-6 की जप्ती की कार्यवाही अपने सामने होने से इंकार किया है।

20— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी गुलाब अ.सा.15 ने कहा है कि वह आरोपी शिवलाल को जानता है। उसके सामने मोतीराम से पुलिस ने प्रदर्श पी-3 में उल्लेखित आरोपी शिवलाल की हस्तलिपि के लिखित आवेदनपत्र जप्त नहीं किया था। उसने प्रदर्श पी-3 पर पुलिस थाने पर हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन साक्षी के.पी. राहांगडाले अ.सा.16 ने कहा है कि वह आरोपी शिवलाल को जानता है। वर्ष 1998 से वर्ष 2000 तक वह बघोली लेम्पस में शाखा प्रबंधक था। उसके पदभार ग्रहण करने के पूर्व आरोपी शिवलाल बघोली में सेल्समेन था। उसने आरोपी के कार्यकाल का कोई ऑडिट नहीं किया है।

21— भारतीय दण्ड संहिता की धारा-405 पर यदि विचार किया जावे तो ऐसी संपत्ति जो किसी को न्यस्त की गई, उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेने पर अथवा उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेने से आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया जाना माना जाता है। इस अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन को सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होता है कि संपत्ति आरोपी को न्यस्त की गई थी एवं वह न्यस्त संपत्ति आरोपी द्वारा बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर ली गई थी अथवा उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लिया गया था। इस प्रकरण में आरोपी पर यह अभियोग है कि लीड सोसाईटी का सेल्समेन होते हुए उसे जो शासकीय संपत्ति जैसे की खाद्यान्न शक्कर, गेहूँ, चावल, साबुन, धोती इत्यादि सामग्री जो उसे न्यस्त की गई थी, वह सामग्री का आरोपी ने दुर्विनियोग किया था। आरोपी के घटना के समय उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समेन होने से वह शासकीय सेवक की श्रेणी में नहीं आने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 का अपराध किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता, परंतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-406 के अधीन अपराध किये जाने के विषय में अवश्य विचार किया जा सकता है।

22— अभियोजन पक्ष ने घटना दिनांक को आरोपी के आधिपत्य में दी गई सामग्री के कम होने के विषय में अभियोजन साक्षी मोतीराम अ.सा.6 का न्यायालयीन परीक्षण कराया है। मोतीराम अ.सा.6 ने जहां मुख्यपरीक्षण में कहा है कि आरोपी दिनांक-17.05.94 से दिनांक-30.05.94 तक दुकान बंद करके चाबी लेकर गायब रहा। वह आरोपी को उसके घर से पकड़कर लाया और स्टॉक का सत्यापन करने पर उसने मिट्टी का तेल, धोती, साबुन, शक्कर का मिलान करने पर कुल 14039.75 रुपये की कमी पाई, जिसके संबंध में उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने अंतिम हिसाब कब दिया था, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी को कितना सामान विक्रय के लिए दिया गया था, यह भी वह नहीं बता सकता। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जितना माल लीड सोसाईटी द्वारा दिया जाता है, उसकी पावती ली जाकर हस्ताक्षर लिये जाते हैं। इस प्रकार

आरोपी को कितनी सामग्री दी गई थी, इस बात का उल्लेख अथवा दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

23— जगतराम ठाकुर अ.सा.19 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि उसने बघोली, ठेमा की दुकान का सत्यापन किया था और प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-19 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है, परंतु यह भी कहा है कि उसने किसी दुकान में जाकर आय और व्यय का अवलोकन नहीं किया है, उसने मात्र प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-19 के दस्तावेजों पर प्रबंधक मोतीराम घोरमारे के कहने पर सत्यापन किया था। दस्तावेज प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-19 मोतीराम घोरमारे द्वारा तैयार किये गए थे। साक्षी ने आर्टिकल 1 में विभिन्न आर्टिकल 1 रजिस्टर, आर्टिकल 2 रजिस्टर में विभिन्न वस्तुओं की मात्रा में कमी होना पाई थी। आर्टिकल रजिस्टर में आर्टिकल 1 एवं आर्टिकल 2 रजिस्ट्रों पर वस्तुओं के विक्रय, आय-व्यय का उल्लेख है। इन आर्टिकल रजिस्ट्रों का भौतिक सत्यापन अभियोजन साक्षी जगतराम ठाकुर ने किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने किसी भी दुकान का ऑडिट नहीं किया था। प्रबंधक मोतीराम घोरमारे ने रिपोर्ट करना है कहा था, इसलिए उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि बघोली सोसाईटी में सामग्री प्रबंधक आदेश से की जाती थी और प्रदर्श पी-7 लगायत 19 के दस्तावेजों में लिखित वस्तुओं के क्रय के क्रेडिट मेमो, आवक, वितरण आदि की जांच उसके द्वारा नहीं की गई। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आर्टिकल 1 व 2 के रजिस्ट्रों के समस्त पृष्ठों पर इन्द्राज प्रविष्टि को उसने नहीं देखा, केवल मोतीराम घोरमारे प्रबंधक द्वारा पढ़कर बताए जाने पर उसने विश्वास करके हस्ताक्षर कर दिये थे।

24— प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी न तो सरकारी कर्मचारी है और न ही बैंक का कर्मचारी है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि विक्रेता (आरोपी) प्रतिदिन विक्रय की राशि जमा नहीं करता था, इस बात की कोई शिकायत प्रबंधक ने नहीं की। साक्षी के कथनों पर यदि विचार किया जावे तो यह प्रकट हो रहा है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोपी द्वारा गबन करना बताया गया है उन दस्तावेजों पर जो इन्द्राज है, उनके विषय में साक्षी का कहना है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति मोतीराम घोरमारे पर विश्वास करके उसके बताए अनुसार हस्ताक्षर किये थे। साक्षी के कथनों से प्रकट हो रहा है कि उसे घटना में कितनी वस्तुओं की हेरफेर की गई थी अथवा उन वस्तुओं का मूल्य अनुसार कितनी राशि का गबन हुआ था, इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है।

25— प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि जो भी आर्टिकल रजिस्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं, वह आर्टिकल रजिस्टर आरोपी के आधिपत्य से जप्त नहीं किये

गए हैं और न ही यह उल्लेख किया गया है कि भौतिक सत्यापन किये जाते समय आरोपी के आधिपत्य से सामग्री की उपलब्धता तथा विक्रय की गई सामग्री का ब्यौरा एवं जमा की गई राशि का ब्यौरा एक साथ जप्त किया जाकर उसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। जप्ती की कार्यवाही के सभी स्वतंत्र साक्षियों द्वारा जप्ती की कार्यवाही की जानकारी न होना व्यक्त किया गया है। यदि सत्यापन की कार्यवाही पर विचार किया जावे तो अभियोजन साक्षी जगताराम ठाकुर अ.सा.19 ने यह कहा है कि उसने मोतीराम घोरमारे के बताए अनुसार सत्यापन की कार्यवाही के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि सत्यापन की कार्यवाही की जाते समय आरोपी को इस संबंध में नोटिस नहीं दिया गया था अथवा गवाहों के समक्ष यह सत्यापन कार्य किया गया था, इस बात का उल्लेख साक्षी के न्यायालयीन परीक्षण में नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायदृष्टांत राघवेन्द्र कुमार विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एम.पी. वीकली नोट्स 2001(I)331 में यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता, 1860—धारा—409 तथा 405—दुर्विनियोग का अपराध—अभियुक्त सहकारी सोसाइटी का शाखा प्रबंधक—धारा—405 के घटक साबित नहीं—वास्तविक दुर्विनियोग अथवा अपने स्वयं के उपयोग के लिए संपरिवर्तन सिद्ध नहीं—सोसाइटी को कोई हानि होना नहीं दर्शाया गया—मात्र लेखा—पुस्तकों में फर्क के कारण अभियुक्त सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकरण में यह अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है कि आरोपी ने वास्तविक रूप से सामग्री का छल कारित कर दुर्विनियोग किया था अथवा स्वयं के उपयोग के लिए संपरिवर्तित किया था और सोसाइटी को हानि हुई थी, इसलिए आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420 एवं 409 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420 एवं 409 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

### **विचाणीय बिन्दु क्रमांक-3 का निष्कर्ष**

26— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—467 का अपराध किये जाने का अभियोग है।

27— आरोपी पर अभियोग है कि उसने बिक्री रजिस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित था कि कूटरचना, शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—467 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या बिल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकारी होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को



प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकारी होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिये जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूट रचना करेगा, वह (आजीवन कारावास) से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा के अंतर्गत आरोपी द्वारा अपराध किये जाने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना है कि आरोपी ने बिक्री रजिस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित थी में कूटरचना शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की थी। अभियोजन साक्षी जगताराम ठाकुर अ.सा.19 ने अपने विस्तृत न्यायालीयीन परीक्षण में यह कहा है कि वह दिनांक-18.02.1995 को विकासखण्ड अधिकारी परसवाड़ा में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बघोली की ठेमा दुकान का सत्यापन किया था, जो प्रदर्श पी-7 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी तरह प्रदर्श पी-8 लगायत प्रदर्श पी-19 पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने प्रदर्श पी-7 से लेकर प्रदर्श पी-19 तक के दस्तावेजों का सत्यापन स्वयं नहीं किया था और न ही किसी दुकान में जाकर आय-व्यय का अवलोकन किया था। उसने प्रदर्श पी-7 से लेकर प्रदर्श पी-19 तक के दस्तावेजों का सत्यापन मैनेजर मोतीराम घोरमारे के कहने पर किया था और दिनांक-18.02.1995 को उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त दस्तावेज मोतीराम घोरमारे के द्वारा ही तैयार किये गए थे। आर्टिकल-1 के पेज नंबर-57 के अनुसार प्रदर्श पी-7 में स्कंध पंजी के अनुसार 54 किलोग्राम शक्कर कम पाई गई थी। उक्त आर्टिकल के पेज नंबर-8 के लिखित अनुसार 1.53 क्विंटल गोहूँ कम था। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-150 के अनुसार प्रदर्श पी-9 में लिखित अनुसार 11.51 क्विंटल चावल कम था। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-123 के अनुसार प्रदर्श पी-10 में लिखित अनुसार 22 नग शक्कर बारदाना कम था। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-103 के अनुसार प्रदर्श पी-11 में लिखित अनुसार राशन बारदाना 348 नग कम था। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-176 के अनुसार प्रदर्श पी-12 में लिखित अनुसार 3 नग साबुन कम पाई गई। आर्टिकल-1 के पेज क्रमांक-140 के अनुसार प्रदर्श पी-13 में लिखित अनुसार धोती 2 नग कम पाई थी। आर्टिकल-2 के पेज क्रमांक-70 के अनुसार प्रदर्श पी-15 में लिखित अनुसार 6.60 क्विंटल चावल कम पाया गया था। आर्टिकल-2 के पेज क्रमांक-77 के अनुसार प्रदर्श पी-16 के लिखित अनुसार अभ्यास पुस्तिका 10 नग कम पाई थी। आर्टिकल-2 के पेज क्रमांक-101 के अनुसार प्रदर्श पी-17 के अनुसार सत्यापन करने पर 4 किलो चायपत्ती कम पाई गई थी। आर्टिकल-2 के पेज क्रमांक-108 के अनुसार प्रदर्श पी-18 की रिपोर्ट सत्यापन करने पर 54 नग राशन बारदाना कम पाया गया था। आर्टिकल-2 के अनुसार पेज क्रमांक-127 के अनुसार प्रदर्श पी-19 को सत्यापन करने पर 19 नग शक्कर बारदाना

कम पाया गया था। वह दिनांक-01.06.94 को प्रबंधक के साथ राशन दुकान ठेमा एवं भीड़ी भौतिक सत्यापन हेतु नहीं गया था। वह दिनांक-31.05.94 को भी प्रबंधक के साथ भौतिक सत्यापन के लिए नहीं गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-13 पर उसके सामने शिवलाल भलावी, लीलाबाई, गोपाल मरावी, जोगलाल उइके, हीरामन मेरावी ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रबंधक मोतीराम घोरमारे ने कहा है कि रिपोर्ट करना है, इसलिए उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-19 के दस्तावेजों में लिखित वस्तुओं के क्रय का क्रेडिट मेमो, आवक, वितरण आदि की जांच उसने नहीं की थी। आर्टिकल-1 व आर्टिकल-2 रजिस्टर उसके सामने सील नहीं किये गए थे और न ही उसने उपरोक्त आर्टिकल रजिस्ट्रों के पृष्ठों के इन्द्राज को देखा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी दैनिक विक्रेता के पद पर पदस्थ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि प्रबंधक द्वारा आरोपी के समक्ष भौतिक सत्यापन सामग्री का किया जाना है, इस बाबद् उसे नहीं बुलाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-19 के दस्तावेजों में दर्शित की गई कमी के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी न ही सरकारी कर्मचारी है और न ही बैंक का कर्मचारी है।

28— साक्षी टी.आर. साहू अ.सा.21 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-14.09.1995 को थाना परसववाड़ा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-10/95, अंतर्गत धारा-420, 409, 467 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मोतीराम के पेश करने पर आर्टिकल बी-1 जो आरोपी शिवलाल के द्वारा 13,000/-रुपये राशि में आई कमी जमा करने बाबद् पत्र अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति बघोली को लेख किया गया था, जो जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त दिनांक को मोतीराम घोरमारे द्वारा थाने पर पेश करने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार क्रेडिट मेमो बुक साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-06.10.1995 को मोतीराम घोरमारे से शिवलाल की हस्तलिपि में लिखित अवकाश संबंधित आवेदन जो आर्टिकल बी-2 से लगायत आर्टिकल बी-6 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया गया था। दिनांक-30.10.1995 को मोतीराम घोरमारे से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-20 अनुसार एक रोकड़बही रजिस्टर लेम्पस बघोली पृष्ठ क्रमांक-1 से 400 तक जप्त किया था, जो दिनांक 02.04.1993 से दिनांक-31.03.1994 तक लेख है, जिसके बी से बी भाग पर उसका नाम लेख है। दिनांक-23.12.1995 को साक्षी डेकनलाल, विजय नारायण के कथन उनके बताये

अनुसार लेख किया था। प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेज जहांगीराबाद भोपाल परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक बालाघाट के माध्यम से भेजा गया था, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 है, जो प्रकरण में संलग्न है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रकरण सोसाईटी से संबंधित है। साक्षी ने स्वीकार किया कि समिति शासन के पैसों का उपयोग करती है। इस बाबद् कोई दस्तावेज फरियादी ने उसे नहीं दिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आरोपी की नियुक्ति के संबंध में जो दस्तावेज प्रकरण में संलग्न है, वह छायाप्रति है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उन दस्तावेजों की छायाप्रति होने से आरोपी के शासकीय कर्मचारी होने की पुष्टि नहीं होती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट होने के पश्चात् उसके सामने भौतिक सत्यापन इत्यादि की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी द्वारा कूट रचना की गई हो, ऐसे कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। साक्षी का कहना है कि गलत प्रविष्टि लेख की गई थी, इसलिए उसने आर्टिकल रजिस्टर जप्त किये थे, परंतु भौतिक सत्यापन इत्यादि की कार्यवाही उसने नहीं की थी। यहां यह महत्वपूर्ण बात है कि साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी के द्वारा किसी दस्तावेज में कूटरचना किया जाना साक्षी ने अस्वीकार किया है।

29— अभियोजन द्वारा यह कहा अवश्य कहा गया है कि हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया था और इसके संबंध में परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रदर्श पी-21 में इस बात का उल्लेख है कि एस-1 से एस-18, एन-1 से एन-6 की लेखनी क्यू-1 से क्यू-18, क्यू-19/1, क्यू-19/2, क्यू-20 से क्यू-35, क्यू-35/1, क्यू-36 से क्यू-44, क्यू-45 से क्यू-67, क्यू-9/1, क्यू-14/1 से मेल खाती है। हस्तलिपि विशेषज्ञ को भेजे गए दस्तावेजों पर आरोपी की नमूना हस्तलिपि ली जाकर प्रेषित की गई थी और आरोपी के नमूना हस्तलिपि आर्टिकल बी-1 लगायत बी-6 से मिलान करने पर यह हस्तलिपि आरोपी की होना विशेषज्ञ द्वारा पाया गया, इस संबंध में प्रदर्श पी-21 की रिपोर्ट अभिलेख में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में जप्त दस्तावेजों की जप्ती आरोपी के पास से नहीं हुई है। जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों ने उनके सामने जप्त रजिस्टर आर्टिकल-1 एवं आर्टिकल 2 उनके समक्ष जप्त किये जाने से इंकार किया है। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि आरोपी की नमूना हस्तलिपि जो आर्टिकल बी-1 लगायत बी-6 में लेख है, वह हस्तलिपि आर्टिकल 1 व 2 के रजिस्ट्रों की हस्तलिपि के समान है और आरोपी द्वारा ही लेख की गई है। विचार करना यहां यह आवश्यक है कि भौतिक सत्यापन करने पर आरोपी के पास न्यस्त की गई संपत्ति जो कि लीड सोसाईटी द्वारा उसे विक्रय करने के लिए दी गई थी, वह आर्टिकल रजिस्ट्रों के विक्रय पश्चात् स्टॉक रजिस्टर में कम होना पाई गई थी, जो संपत्ति कम पाई गई थी, उसके विषय में आरोपी ने स्टॉक रजिस्टर हेराफेरी की थी या

उसे अपने लाभ के लिए संपरिवर्तित कर लिया था, यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है। किसी भी रजिस्टर में गलत इन्द्राज किया जाना इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि गबन करने के आशय से वह गलत इन्द्राज किया गया था, क्योंकि गलत इन्द्राज एक बार विभागीय जांच का विषय हो सकता है, परंतु मात्र यही एक आधार गबन का अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिन रजिस्टर दस्तावेजों पर विक्रय का उल्लेख किया जाता था, उन्हें जप्त किया गया और उनके इन्द्राज को आरोपी द्वारा कूटरचित इन्द्राज किया जाना अभियोजन द्वारा अभिकथित किया गया है। इस संबंध में विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 भी प्रस्तुत की गई है। भौतिक सत्यापन की कार्यवाही का समर्थन जगताराम ठाकुर अ.सा.19 द्वारा किया गया था और उसका यह कहना है कि उसने मोतीराम घोरमारे प्रबंधक के कहने पर हस्ताक्षर किये थे, सत्यापन का कार्य नहीं किया था। सत्यापन का कार्य जिसके आधार पर आरोपी पर गबन किया जाना पाया गया था और गबन करने के आशय से बिक्री रजिस्ट्रों में कूट रचना की गई थी, यह बात इसलिए नहीं प्रमाणित हो रही है, क्योंकि जब तक यह सिद्ध नहीं कर लिया जाता कि आरोपी को कुल कितना सामान विक्रय के लिए दिया गया था और उसने न्यस्त किये गए सामान में से अपने लाभ के आशय से उस सामान में से कुछ सामान को अथवा पूरे सामान को संपरिवर्तित कर लिया था, यह बात प्रमाणित होना आवश्यक है। प्रकरण में आरोपी को छ टना घटित होने और जांच किये जाते समय कितना सामान लीड सोसाईटी द्वारा न्यस्त किया गया था, इस संबंध में दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, जिनसे कि छ टना दिनांक को स्टॉक रजिस्टर में कितने सामान की कमी पाई गई थी, इस बात की धारणा की जा सके। मात्र दुकान के विक्रय रजिस्ट्रों पर आरोपी द्वारा इन्द्राज किया गया था और उसके द्वारा गबन करने के आशय से कूटरचना की गई थी, यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है। इसलिए आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

30— प्रकरण में आरोपी दिनांक-29.06.1995 से दिनांक-18.08.1995 तक के न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

31— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।



32— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दैनिक बिक्री एवं स्टाक रजिस्टर उचित मूल्य दुकान ठेमा एवं भीड़ी लेम्पस बघोली का (प्रदर्श पी-6 अनुसार), क्रेडिट मेमो लीड सोसाईटी मोहगांव (प्रदर्श पी-5 अनुसार), एक रोकड़बही रजिस्टर लेम्पस बघोली का (प्रदर्श पी-20 अनुसार) मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किये जावें तथा जप्तशुदा अवकाश आवेदनपत्र (प्रदर्श पी-3 अनुसार) एवं राशि जमा करने के संबंध में आवेदन पत्र (प्रदर्श पी-4 अनुसार) मूल प्रकरण के साथ संलग्न किये जावें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया  
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)